

राजस्थान उच्च न्यायालय , जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / 2144 /2020

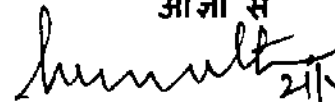
दिनांक : 23.11.2020

श्रीमती परीक्षिता देथा (RJ1092), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जयपुर महानगर-II को दिनांक 14.12.2020 से 11.06.2021 तक 180 दिनों का मातृत्व अवकाश (प्रथम) दिनांक 12.12.2020 से 13.12.2020 एवं 12.06.2021 से 13.06.2021 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

सुश्री पुनीत सोनगरा (RJ0991), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-04, जयपुर महानगर-II को श्रीमती परीक्षिता देथा के उक्त मातृत्व अवकाश की अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ, न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जयपुर महानगर-II के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

- (1) ऐसे प्रकरण जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है अथवा उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
- (2) सुश्री पुनीत सोनगरा (RJ0991), जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जयपुर महानगर-II के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/80/2016/ 5239

दिनांक : 23.11.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 1624 दिनांक 17.11.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती परीक्षिता देथा (RJ1092), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जयपुर महानगर-II
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-03, जयपुर महानगर-II
5. सुश्री पुनीत सोनगरा (RJ0991), अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-04, जयपुर महानगर-II
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं महानगर मजिस्ट्रेट, क्रम-04, जयपुर महानगर-II
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) रा.उ.न्या., जोधपुर ।



सहायक रजिस्ट्रार